रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268509
CG-DL-E-15122025-268509

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5584] **नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2025/अग्रहायण 24, 1947**
No. 5584] **NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2025/AGRAHAYANA 24, 1947**

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5779(अ).— केन्द्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 'न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पैन-AAALN0120A), उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, को उस आयोग को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

i) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

ii) भूमि, भवन एवं अन्य चल एवं अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त धन;

iii) भवन तथा अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों को किराये पर देने के रूप में प्राप्त धन;

iv) अर्जित ब्याज और लाभांश की राशि; और

v) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त शुल्क, टोल एवं प्रभार;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा ;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा ।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं.171/2025/फा. सं. 196/83/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अधिसूचना डब्ल्यूपी.(सी) संख्या 4711/2021 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 11.07.2024 के फैसले के अनुपालन में है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2025

S.O. 5779(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'New Okhla Industrial Development Authority' (PAN- AAALN0120A), an authority constituted by the State Government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:-

i) Grants received from the State Government;

ii) Money received from the disposal of land, building, and other properties, movable and immovable;

iii) Money received by the way of renting the building, and other properties, movable and immovable;

iv) The amount of interest and dividend earned; and

v) All fees, tolls and charges received by the authority under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976;

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'New Okhla Industrial Development Authority,-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) Shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the period of assessment years 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and shall apply with respect to the financial years 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 and 2014-2015.

[Notification No. 171 /2025/F. No. 196/83/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification. The notification in compliance of decision dated 11.07.2024 of Hon'ble Delhi High Court in W.P.(C) No. 4711/2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.15 22:03:12 +05'30'